सिन्धु खण्डारे एजुकेशनल सोसाईटी पाटन

नियमावली

(1) संस्था का नाम : सिन्धु खण्डारे एजुकेशनल सोसाईटी होगा।

(2) संस्था का कार्यालय : साहू कॉलनी, पाटन, तहसील पाटन, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित होगा।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र : पाटन तहसील, जबलपुर जिला एवं मध्यप्रदेश के उन हिस्सों में जहाँ समिति की सेवाओं की अवश्यकता हों, होंगे।

(4) संस्था का उद्देश्य :–

1. नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक उन्नयन करना, विशेषकर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडे वर्ग का ।
2. प्रौढ़ शिक्षा योजनान्तर्गत ग्रामीण अशिक्षा दूर करना ।
3. स्कूल, पुस्तकालय, आदी शैक्षणिक संस्थाओं का संगठन एवं संचालन करना ।
4. अवश्यक्तानुसार निर्धनों एवं अक्षम लोगों की सहायता करना ।

(5) सदस्यता :–

संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे:–

(अ) संरक्षण सदस्य :

सस्था को जो व्यक्ति दान के रुप में रुपये 3,000/–(रुपये तीन हजार मात्र) या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य :

जो व्यक्ति संस्था में दान के रुप में रुपये 2,000/– (रुपये दो हजार मात्र) या अधिक देगा, वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 3,000/– (रुपये तीन हजार मात्र) या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य :

जो व्यक्ति रू. 50/– (रुपये पच्चास मात्र) प्रति माह या रू. 600/– (रुपये छः सौ मात्र) प्रति वर्ष संस्था को चन्दे के रुप में देगा, वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है । जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नही देगा, उसकी सदस्या समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन–पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्माननीय सदस्य :

संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(6) सदस्यता की प्राप्ति :

प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो, लिखित रुप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन–पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसको आवेदन–पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

(7) सदस्यों की योग्यता :

संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो।

[illegible] हो।

PRESIDENT
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

PRESIDENT
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Treasurer
Sindhu Khandare Edu. Society
Patan Dist. Jabalpur, M.P

SECRETORY
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Scanned with OKEN Scanner

सदस्यता की समाप्ति :

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:–

(1) मृत्यु हो जाने पर ।
(2) पागल हो जाने पर।
(3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बतायें अनुसार जमा न करने पर।
(4) त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
(5) चारित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रुप देना होगी।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्योरे दर्ज किये जावेंगे :

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।
(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.।
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

(10) संस्था के कार्य संचालन के लिए निम्नांकित समितियों का निर्माण करना होगा ।

(अ) साधारण सभा (ब) प्रबंधकारिणी सभा

(अ) साधारण सभा :

साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होंगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था को प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :

प्रबंधकारिणी सभा का बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 2/3 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थागित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष :

यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रुप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य :

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना ।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

PRESIDENT
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Sunil.
Treasurer
Sindhu Khandare Edu. Society
Patan Dist. Jabalpur, M.P

SECRETORY
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Scanned with OKEN Scanner

प्रबंधकारिणी का गठन :

ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ), (ब), (स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष,
(3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष,
(5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2

(13) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल :

प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

(14) प्रबंन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य :

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना । चल या अचल सम्पत्ति खरीदने या भवन निर्माण हेतु पर्याप्त धन न होने की स्थिति में किसी अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण लेना एवं समय पर ऋण वापस करना ।
(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए।
(च) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी।
(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(15) अध्यक्ष के अधिकार :

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा, तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा एवं अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार :

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन–पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।
(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Sunil.
Treasurer
Sindhu Khandare Edu. Society
Patan Dist. Jabalpur. M.P

SECRETORY
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Scanned with OKEN Scanner

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रु. 2,000/– (रुपये दो हजार मात्र) व्यय करने का अधिकार होगा।

(18) संयुक्त सचिव के अधिकार :

सचिव की अनुपस्थिति में समस्त कार्य संयुक्त सचिव करेगा।

(19) कोषाध्यक्ष के अधिकार :

समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(20) बैंक खाता :

संस्था की समस्त निधि किसी अनूसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 2,000/– (रुपये दो हजार मात्र) रहेंगे।

(21) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी ।

(22) संशोधन :

संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

(23) विघटन :

संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली सस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(24) सम्पत्ति :

संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

(25) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :

संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(26) विवाद :

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

PRESIDENT
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Sunil.
Treasurer
Sindhu Khandare Edu. Society
Patan, Dist. Jabalpur, M.P.

SECRETORY
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Scanned with OKEN Scanner

सिन्धु खण्डारे एजुकेशनल सोसाईटी पाटन

नियमावली

(1) संस्था का नाम : सिन्धु खण्डारे एजुकेशनल सोसाईटी होगा।

(2) संस्था का कार्यालय : साहू कॉलनी, पाटन, तहसील पाटन, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में स्थित होगा।

(3) संस्था का कार्यक्षेत्र : पाटन तहसील, जबलपुर जिला एवं मध्यप्रदेश के उन हिस्सों में जहाँ समिति की सेवाओं की अवश्यकता हों, होंगे।

(4) संस्था का उद्देश्य :–

1. नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक उन्नयन करना, विशेषकर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडे वर्ग का ।
2. प्रौढ़ शिक्षा योजनान्तर्गत ग्रामीण अशिक्षा दूर करना ।
3. स्कूल, पुस्तकालय, आदी शैक्षणिक संस्थाओं का संगठन एवं संचालन करना ।
4. अवश्यक्तानुसार निर्धनों एवं अक्षम लोगों की सहायता करना ।

(5) सदस्यता :–

संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगेः–

(अ) संरक्षण सदस्य :

सस्था को जो व्यक्ति दान के रुप में रुपये 3,000/–(रुपये तीन हजार मात्र) या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों मे देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य :

जो व्यक्ति संस्था में दान के रुप में रुपये 2,000/– (रुपये दो हजार मात्र) या अधिक देगा, वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 3,000/– (रुपये तीन हजार मात्र) या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) साधारण सदस्य :

जो व्यक्ति रू. 50/– (रुपये पच्चास मात्र) प्रति माह या रू. 600/– (रुपये छः सौ मात्र) प्रति वर्ष संस्था को चन्दे के रुप में देगा, वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है । जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नही देगा, उसकी सदस्या समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन–पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्माननीय सदस्य :

संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(6) सदस्यता की प्राप्ति :

प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो, लिखित रुप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन–पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसको आवेदन–पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

(7) सदस्यों की योग्यता :

संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो।

(2) [illegible] हो।

PRESIDENT
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

PRESIDENT
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Treasurer
Sindhu Khandare Edu. Society
Patan Dist. Jabalpur, M.P

SECRETORY
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

सदस्यता की समाप्ति :

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगीः–

(1) मृत्यु हो जाने पर ।
(2) पागल हो जाने पर।
(3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बतायें अनुसार जमा न करने पर।
(4) त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
(5) चारित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रुप देना होगी।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्योरे दर्ज किये जावेंगे :

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।
(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.।
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

(10) संस्था के कार्य संचालन के लिए निम्नांकित समितियों का निर्माण करना होगा ।

(अ) साधारण सभा (ब) प्रबंधकारिणी सभा

(अ) साधारण सभा :

साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होंगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था को प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा, यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :

प्रबंधकारिणी सभा का बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 2/3 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थागित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष :

यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रुप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य :

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना ।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

PRESIDENT
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Sunil.
Treasurer
Sindhu Khandare Edu. Society
Patan Dist. Jabalpur, M.P.

SECRETARY
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Scanned with OKEN Scanner

प्रबंधकारिणी का गठन :

ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ), (ब), (स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष,
(2) उपाध्यक्ष,
(3) सचिव,
(4) कोषाध्यक्ष,
(5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2

(13) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल :

प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

(14) प्रबंन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य :

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना । चल या अचल सम्पत्ति खरीदने या भवन निर्माण हेतु पर्याप्त धन न होने की स्थिति में किसी अनुसूचित बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण लेना एवं समय पर ऋण वापस करना ।
(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए।
(च) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी।
(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(15) अध्यक्ष के अधिकार :

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा, तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा एवं अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार :

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन–पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।
(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमिताता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Sunil.
Treasurer
Sindhu Khandare Edu. Society
Patan Dist. Jabalpur. M.P

SECRETORY
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Scanned with OKEN Scanner

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रु. 2,000/– (रुपये दो हजार मात्र) व्यय करने का अधिकार होगा।

(18) संयुक्त सचिव के अधिकार :

सचिव की अनुपस्थिति में समस्त कार्य संयुक्त सचिव करेगा।

(19) कोषाध्यक्ष के अधिकार :

समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(20) बैंक खाता :

संस्था की समस्त निधि किसी अनूसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 2,000/– (रुपये दो हजार मात्र) रहेंगे।

(21) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी ।

(22) संशोधन :

संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

(23) विघटन :

संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली सस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(24) सम्पत्ति :

संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

(25) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :

संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(26) विवाद :

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

PRESIDENT
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Sunil.
Treasurer
Sindhu Khandare Edu. Society
Patan, Dist. Jabalpur, M.P

SECRETORY
Sindhu Khandare Educational Society
Jugiya Road, Sahu Colony
Patan- 483118

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप सात
(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, (क. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र।

16. सोसायटी का नाम और पूरा पता : सिन्धु खण्डारे एजुकेशनल सोसाईटी
साहू कॉलोनी पाटन तहसील पाटन जिला जबलपुर (म.प्र.)

2. पंजीयन कमांक तथा तारीख : पंजीयन क. 14245 दिनांक 03.03.2012

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख: 22-05-2024

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची : कार्यकाल तारीख : 22-05-2024 से तारीख : 22-05-2027 तक

क.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	राजेश खण्डारे	श्री नारायण तुलसी खण्डारे	गुरूद्धारा के पास जे.पी. नगर अधारताल जबलपुर म.प्र.	अध्यक्ष	व्यापार	
2	रविंद्र विश्वकर्मा	श्री हलके राम विश्वकर्मा	पाटन चौधरी मोहल्ला , मंदिर के पास जबलपुर म.प्र.	उपाध्यक्ष	शिक्षिक	
3	अनुश्री खण्डारे	श्री राजेश खण्डारे	गुरूद्धारा के पास जे.पी. नगर अधारताल जबलपुर म.प्र.	सचिव	शिक्षिका	
4	सुनील दुबे	श्री सुरेंद्र दुबे	न्यू कंचनपुर , शोभापुर जबलपुर म. प्र.	कोषाध्यक्ष	शिक्षिक	Sunil.
5	अनिल पटेल	श्री जुगल किशोर पटेल	शाहिनाका गढ़ा जबलपुर म.प्र.	संयुक्त सचिव	व्यापार	Anil
6	राखी सिंह	स्व. श्री रोशन सिंह	मकान नं. 1495, मुक्तीधाम के पास, सुहागी अधारताल, जबलपुर म.प्र.	सदस्य	व्यवसाय	Rakhi
7	रतन लाल सेन	श्री तुलाराम सेन	म.नं. 169, गाडा घाट, तहसील पाटन, जबलपुर म.प्र.	सदस्य	कृषक	रतन

17. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, (क. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन 2040/-रू. की वार्षिक फीस, चालान कमांक SBIN0006159147524052024198054 दिनांक 24/05/24 के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है।

मैं राजेश खण्डारे पिता/पति श्री नारायण तुलसी खण्डारे आयु लगभग 38 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के नुसार सत्य हैं। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता हूं कि यदि मेरे रा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी हो रहूंगा।

हस्ताक्षर:
नाम: Rajesh Khandare
अध्यक्ष/सचिव

Scanned with OKEN Scanner